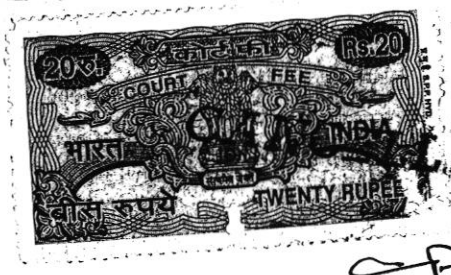

20रु. कोर्ट फीस Rs.20 COURT FEE INDIA भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES
CANCELLED.

(23)

न्यायालय – श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी / सागर / भू.रा. / 2017 / 4965

रम्मू लोधी पिता रामप्रसाद लोधी
निवासी – ग्राम चौरई, तहसील गढ़ाकोटा, जिला सागर (म.प्र.)
.... **आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता**

/ / विरूद्ध / /

1. **श्रीमति मुलाबाई** पति शिव प्रसाद लोधी
निवासी – ग्राम खेरी, तहसील गढ़ाकोटा, जिला सागर (म.प्र.)

B-O-R, 13 NOV 2017

2. **श्रीमति वित्तीबाई उर्फ बिन्नीबाई** पति कलू लोधी
निवासी – बटियागढ़, जिला दमोह (म.प्र.)

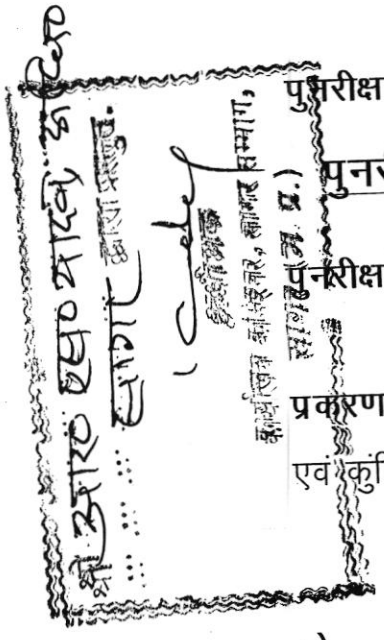

3. **जसरथ उर्फ दशरथ** पिता रामप्रसाद लोधी
निवासी – ग्राम चौरई, तहसील गढ़ाकोटा, जिला सागर (म.प्र.)
.... **अनावेदकगण**

तारीख प्रस्तुति : 13.11.2017

पुनरीक्षण क्र.

पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता निम्न प्रार्थी है :–

यह कि, आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के **प्रकरण क्र. 1069–अ / 27 वर्ष 2016–17 के आदेश दिनांक 11.09.2017** से दुखित एवं कुंठित होकर निम्न आधार पर यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है।

प्रकरण के तथ्य एवं तर्क

1) **यह कि,** पुनरीक्षणकर्ता की खानदानी भूमि मौजा रनगुवां, पटवारी **हल्का नं. 7,** तहसील गढ़ाकोटा, जिला सागर में खसरा **नं. 168 / 1 तथा खसरा नं. 173** रकवा क्रमशः **3.51 हेक्टेयर एवं 5.36** हेक्टेयर **जुमला 8.87 हेक्टेयर** थी। उक्त भूमि का बटवारा **प्रकरण क्र. 7अ / 27, वर्ष 2006–07 आदेश दिनांक 04.05.2007** को हुआ था। उक्त समय **अनावेदक क्र. 1 एवं 2** ने अपने कथनों में सहमति व्यक्त कर न्यायालयीन कथन कराये थे तथा अपना हक्क व हिस्सा पुनरीक्षणकर्ता ने **अनावेदक क्र. 3** के पक्ष में हिस्सा छोड़ दिया था तब से **पुनरीक्षणकर्ता** एवं **अनावेदक क्र. 3** अपने–अपने हिस्से पर मालिक काबिज चले आ रहे हैं।

322 / 27/11/17

2) **यह कि, अनावेदक क्र. 3** ने पुनरीक्षणकर्ता की भूमि से रास्ता मांगा था जिसे ... [illegible] ... उक्त तथ्य से **अनावेदक क्र. 3** नाराज हो गया था।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/सागर/भू.रा./2017/4965

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08/03/2018	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस एवं समाधानकारण कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जबकि अवधि विधान की धारा-5 के अनुसार विलंब के संबंध में दिन-प्रतिदिन का स्पष्टीकरण अनिवार्य होता है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष भी विलंब के संबंध में कोई ठोस एवं समाधानकारण कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक का धारा-5 का आवेदन निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	